न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 13 / 2008

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामधन जाति जाट निवासी बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 सरकार जरिये सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड फतेहपुर जिला सीकर।
2 तहसीलदार फतेहपुर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राज

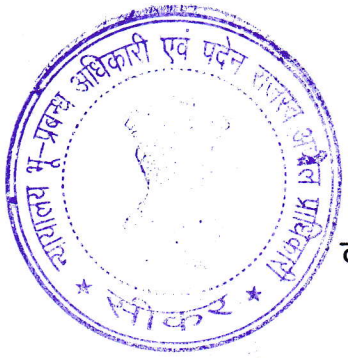

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 15.04.2008 न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर बसिलसिले मुकदमा उनवानी सुरेन्द्र कुमार बनाम सरकार मु.नं.52/07 व अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.12.2007 न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर मुकदमा नं. 74/07 अनुवानी सरकार बनाम सुरेन्द्र अ0 धारा 91 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट अपील अं0 धारा 76 रा.लै. रे. एक्ट

उपस्थित

1. श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पोखरमल राजकीय अधिवक्ता

–निर्णय–

दिनांकः–22.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह द्वितीय अपील विचारण न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर द्वारा प्रथम अपील संख्या 52/07 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व अन्य सह कृषकों की भूमि खसरा नम्बर 247/1 रकबा 1.15 हैक्टेयर ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर में स्थित है। जिसका साबित खसरा नम्बर 247 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा था जिसमें से 1 बीघा पुख्ता भूमि गैर मुमकिन सड़क के नाम अंकित हो गई अपीलांट व अन्य सहकृषकों की भूमि खसरा नम्बर 247/1 की दक्षिणी सीमा पर करीब 150–175 फुट पुख्ता दीवार बनी हुई है जिसके दक्षिण में सड़क गुजरती है अपीलान्ट व अन्य सहकृषको का सड़क की भूमि खसरा नम्बर 247/2 पर कोई अतिक्रमण न होते हुये भी सहायक अभियन्ता ने अपीलान्ट के विरूद्व अतिक्रमण रिपोर्ट पेश की जिस पर तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज कर नोटिस दिया गया एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना ही दिनांक 26.12.2007 को निर्णय पारित कर दिया। जिसके विरूद्व प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर के समक्ष पेश की गई जो निर्णय दिनाक 15.04.2008 से खारिज की गई। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि हमारा कोई अतिक्रमण नही है हमारी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर निर्णय करना चाहिए था अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन दोनों निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोनों विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये है जिनमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रथम अपील न्यायालय ने भी इसी आधार पर अपील खारिज की है अपीलांट का ऐतराज रहा है कि मौके पर नपती सीमाज्ञान करवाकर उसकी खातेदारी के अतिरिक्त कब्जा हो तो कार्यवाही की जावें। दोनों न्यायालयों द्वारा इस सन्दर्भ में कोई विवेचन नही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित को ध्यान में रखते हुये दोनों न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाते है एवं अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार फतेहपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाये इसके उपरान्त यदि अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो विधि अनुसार गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। अपीलांट तहसीलदार फतेहपुर के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर